पत्रांक– 19657 / 14.08.2014

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/
सभी ग्रामीण आवास सहायक, बिहार।

पटना, दिनांक अगस्त, 2014

विषयः–मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों को छत निर्माण हेतु वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के द्वारा जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघर परिवारों को स्थायी मकान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत मात्र 20 हजार रू0 की सहायता दी जाती थी। सहायता राशि पर्याप्त नहीं रहने के कारण अनेकों मामले में आवास का निर्माण लाभुक के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका। यह समस्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप अपनी ओर से राशि लगाने में वे सक्षम नहीं हो सके।

2. उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए दिनांक 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों के लिंटल स्तर तक निर्मित किन्तु छत निर्माण नहीं होने के कारण अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास का छत निर्माण कराकर आवास को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत प्रति लाभुक 30 हजार रू0 अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।

3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिंटल स्तर से आवास पूर्ण करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि से किस प्रकार आवासों को पूर्ण कराया जाए, इस संबंध में दिनांक 02.08.2014 को एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में वैसे अधूरे आवास जिनका निर्माण 10 या 10 से अधिक वर्ष पूर्व हुआ है, उसके छत निर्माण हेतु किस प्रकार की सामग्री उपयुक्त होगी, इस विषय पर वर्किंग ग्रुप की राय प्राप्त की गयी। उक्त सुझाव के आलोक में निम्नांकित निदेश दिया जाता हैः–

(i) छत के निर्माण हेतु ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए जो हल्की हो ताकि कमजोर दीवारें भी इनका भार सहन कर सके।

(ii) तकनीकी टीम के द्वारा ऐसे छतों के निर्माण हेतु अल्यूमिनियम सीट के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि यह सामग्री हल्की होती है, जंग नहीं लगता है, और न ही रख–रखाव की आवश्यकता पड़ती है तथा इसका रि–सेल भेल्यू भी अधिक है। अर्थात् कालान्तर में यदि लाभुक अपने आवास का पुनर्निमाण कराना चाहे तो लाभुक को अल्युमिनियम सीट बेचने पर बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इस कारण से छत निर्माण हेतु अल्यूमिनियम सीट का उपयोग श्रेस्कर होगा।

(iii) आज–कल बाजार में स्क्रेप से बने अल्युमिनियम सीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः अल्युमिनियम सीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से अल्यूमिनियम सीट क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाए। इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी.डी. के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर कंपनी के नाम से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाए।

(iv) प्राइमरी प्रोड्यूसर की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

कृपया तद्नुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
8/14